पत्रांक :– 7/वि03–188/2010मा0......404

मानव संसाधन विकास विभाग,बिहार

प्रेषक,

आशुतोष, भा0व0से0,
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
(समस्तीपुर को छोड़कर)

पटना, दिनांक ....11/04/11....../

विषय:– **नक्सल क्षेत्र में शिक्षकों के Out Sourcing work के संबंध में।**

प्रसंग:– **निदेशालय का पत्रांक–178 दिनांक–01.02.2011**

महाशय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित गृह (विशेष) विभाग का पत्र एवं संलग्न समाचार–पत्र के कतरन संलग्न करते हुए अपने अधिनस्थ पदाधिकारी से विमर्श कर जिले का एक समेकित प्रतिवेदन फैक्स से भेजने का अनुरोध किया गया था। किन्तु अभी तक उत्तर अप्राप्त है।

अतः पुनः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार को स्थिति से अवगत कराया जा सके। सुलभ प्रसंग हेतु भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

(अनु0–यथोक्त)

विश्वासभाजन

07/04/11

(आशुतोष)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।

U/DLS

FAX

पत्रांक :– 7/वि०3–188/10 मा० 178

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

प्रेषक,

आशुतोष, मा०व०से०
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक।

पटना, दिनांक :– 11/02/11

विषय :– नक्सल क्षेत्र में शिक्षकों के Out Sourcing Work के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित गृह (विशेष) विभाग का पत्र एवं संलग्न सचाचार–पत्र के कतरन (छायाप्रति संलग्न) से स्पष्ट होता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षकों के द्वारा स्थानीय लोगों को शिक्षण का काम सौपा जा रहा है। इसके बदले में शिक्षकों के द्वारा (स्थानीय युवाओं को) वेतन की आधी राशि दी जाती है। स्वभाविक है की ऐसी परिस्थिति में शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। भारत सरकार द्वारा इस तरह के मामले पर कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय को सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने अधिनस्थ अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से Out Sourcing Work पर विर्मश कर जिले का एक समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी को फैक्स से भेजें तथा एक प्रति दिनांक 15.02.2011 को राज्यस्तीरय बैठक में लाने का कष्ट करें।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

(अनु०–यथोक्त)

विश्वासभाजन,
(आशुतोष)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।